



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072022-236963  
CG-DL-E-01072022-236963

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2840]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 2022/आषाढ 9, 1944

No. 2840]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 2022/ASHADHA 9, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

(सं. 14 / 2015-2020)

**विषय:** आईटीसी (एचएस), निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अध्याय 27 के एचएस कोड 27101241, 27101242, 27101243, 27101244, 27101249, 27101941, 27101944 और 27101949 के अंतर्गत मदों की निर्यात नीति में संशोधन।

**का. आ. 2985(अ).**—विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अध्याय 27 के एचएस कोड्स 27101241, 27101242, 27101243, 27101244, 27101249, 27101941, 27101944 और 27101949 के अंतर्गत मदों की निर्यात नीति को संशोधित करती है:

क्र.सं.	एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
113 क	2710 12 41	मोटर गैसोलीन मानक आईएस 2796, आईएस 17021 अथवा आईएस 17076 के अनुरूप—मोटर गैसोलीन मानक आईएस 2796 के अनुरूप	मुक्त	निर्यातक को निर्यात करते समय संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों को स्व-घोषणा प्रस्तुत करना

क्र.सं.	एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
	2710 12 42	मोटर गैसोलीन मानक आईएस 2796, आईएस 17021 अथवा आईएस 17076 के अनुरूप—ई20 ईंधन मानक आईएस 17021 के अनुरूप		अपेक्षित है जिसमें पुष्टि की जाए कि शिपिंग बिल में उल्लिखित मात्रा का 50 प्रतिशत मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में आपूर्ति की गई है/की जाएगी। तथापि नेपाल और भूटान को इस शर्त से छूट प्रदान की गई है। इसी तरह यह शर्त 100 प्रतिशत ईओयू और एसईजेड की इकाइयों पर लागू नहीं है। ऐसे निर्यातकों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) को तिमाही रिटर्न भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
	2710 12 43	मोटर गैसोलीन मानक आईएस 2796, आईएस 17021, आईएस 17586 अथवा आईएस 17076 के अनुरूप—ई12 ईंधन मानक आईएस 17586 के अनुरूप		
	2710 12 44	मोटर गैसोलीन मानक आईएस 2796, आईएस 17021, आईएस 17586 अथवा आईएस 17076 के अनुरूप—ई15 ईंधन मानक आईएस 17586 के अनुरूप		
	2710 12 49	मोटर गैसोलीन मानक आईएस 2796, आईएस 17021 अथवा आईएस 17076 के अनुरूप—एम15 ईंधन मानक आईएस 17076 के अनुरूप		
113 ख	27101941	गैस आयल तथा गैस आयल से प्राप्त ऑयल: गैस आयल	मुक्त	निर्यातकों को निर्यात करते समय संबंधित सीमा शुल्क अधिकारियों को स्व-घोषणा प्रस्तुत करना अपेक्षित है जिसमें पुष्टि की जाए कि शिपिंग बिल में उल्लिखित मात्रा का 30 प्रतिशत मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में आपूर्ति की गई है/की जाएगी। तथापि नेपाल और भूटान को इस शर्त से छूट प्रदान की गई है। इसी तरह यह शर्त 100 प्रतिशत ईओयू और एसईजेड की इकाइयों पर लागू नहीं है। ऐसे निर्यातकों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) को तिमाही रिटर्न भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
	27101944	गैस ऑयल और गैस ऑयल से प्राप्त ऑयल:—ऑटोमोटिव डिजल फ्यूअल, जिसमें बायोडीजल न हो, आईएस 1460 मानक की पुष्टि करता हो।		
	27101949	गैस ऑयल और गैस ऑयल से प्राप्त ऑयल:—आईएस 16861 मानक की पुष्टि करने वाले हार्ड प्लाश हार्ड स्पिड डीजल फ्यूअल		

## 2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

उपर्युक्त उल्लिखित एचएस कोडों के तहत मदों के निर्यात हेतु नीतिगत शर्त को शामिल किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/180/21/एम18/ईसी/खण्ड-II/ई-18994]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)  
**DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30<sup>th</sup> June, 2022

**(No. 14 /2015-2020)**

**Subject:** Amendment in Export Policy of items under HS Codes 27101241, 27101242, 27101243, 27101244, 27101249, 27101941, 27101944 and 27101949 of Chapter 27 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy.

**S.O. 2985(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby amends the Export Policy of items under HS Codes 27101241, 27101242, 27101243, 27101244, 27101249, 27101941, 27101944 and 27101949 of Chapter 27 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy:

S.No.	HS Codes	Description	Export Policy	Policy Condition
113A	2710 12 41	Motor gasoline conforming to standard IS 2796, IS 17021 or IS 17076 ---Motor gasoline conforming to standard IS 2796	Free	The exporter is required to submit a self – declaration to the concerned Customs authority at the time of export confirming that 50% of quantity mentioned in the Shipping Bill has been/will be supplied in the domestic market during the current financial year.  However, export to Bhutan and Nepal is exempted from this condition.  Similarly, this condition is not applicable to 100% EoUs and units in SEZs.  Such exporters are also required to file a quarterly return to the Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG).
	2710 12 42	Motor gasoline conforming to standard IS 2796, IS 17021 or IS 17076 ---E20 fuel conforming to standard IS 17021		
	2710 12 43	--- Motor gasoline conforming to standard IS 2796, IS 17021, IS 17586 or IS 17076: -- -- E 12 fuel conforming to standard IS 17586		
	2710 12 44	--- Motor gasoline conforming to standard IS 2796, IS 17021, IS 17586 or IS 17076: -- -- E 15 fuel conforming to standard IS 17586		
	2710 12 49	Motor gasoline conforming to standard IS 2796, IS 17021 or IS 17076 ---M15 fuel conforming to standard IS 17076		
113 B	2710 19 41	Gas oil and oils obtained from gas oil: Gas Oil	Free	The exporter is required to submit a self – declaration to the concerned Customs authority at the time of export confirming that 30% of quantity mentioned in the Shipping Bill has been/ will be supplied in the domestic market during
	2710 19 44	Gas oil and oils obtained from gas oil: --- - Automotive diesel fuel, not containing biodiesel, conforming to standard IS1460		
	2710 19 49	Gas oil and oils obtained from gas oil: --- - High flash high speed diesel fuel conforming to standard IS 16861		

S.No.	HS Codes	Description	Export Policy	Policy Condition
				<p>the current financial year.</p> <p>However, export to Bhutan and Nepal is exempted from this condition.</p> <p>Similarly, this condition is not applicable to 100% EoUs and units in SEZs.</p> <p>Such exporters are also required to file a quarterly return to the Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG).</p>

2. **Effect of this Notification:**

Policy condition incorporated against export of items under the above mentioned HS codes.

[F.No. 01/91/180/21/AM18/EC/Vol-II/E-18994]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.